"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर 2010—कार्तिक 20, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. एफ-1-7/18/2010.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिका शिवपुर चरचा, जिला-कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	स्वामी विवेकानंद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	लाला लाजपत राय वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		16	छत्रपति शिवाजी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	17	शहीद बृजभूषण वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	डॉ. अंबेडकर वार्ड
		06	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		19	शहीद मंगल पाण्डेय वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	07	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
		14	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	महाराणा प्रताप वार्ड
		08	महात्मा गांधी वार्ड
		15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ - 1-7/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7/18/2010 दिनांक 10-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

Raipur the 10th November 2010

NOTIFICATION

No. F-1-7/18/2010 .— The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Shivpur -Churcha, Distt. Koria is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	03	Swami Vivekanand Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Lala Lajapat Rai Ward
3.	Scheduled Tribes	12	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		16	Chhatrapati Shivaji Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	17	Shahid Brijbhushan Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	01	Dr. Ambedkar Ward
		06	Lal Bahadur Shastri Ward
		19	Shahid Mangal Pandey Ward
6.	Other Backward Class (Female)	07	Bal Gangadhar Tilak Ward
		14	Rani Laxmi Bai Ward
7.	Female	02	Maharana Pratap Ward
		08	Mahatma Gandhi Ward
		15	Dr. Rajendra Prasad Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.